



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 0121
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsfsg@gmail.com

क्रमांक: – सर./कृषि/20/2020-21

दिनांक-24.02.2021

निविदा-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) में चना की फसल का 1108.60 हे० (2771.50 एकड़) की कटाई/गहाई की दर निर्धारण हेतु सीलबन्द निविदाएं दिनांक 20.03.2021 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन सांय 3.30 बजे फार्म की समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदाये निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम, प्रति लॉट धरोहर राशि रुपये 5000/—(पांच हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि “नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़” के नाम से सूरतगढ़ में देय हो के साथ देनी होगी। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु 236/— (नॉन रिफन्डेबल) का ड्राफ्ट देना होगा। सफल बोली/निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटायी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 236/— (नॉन रिफन्डेबल) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/शर्तों की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है व इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। बोलीदाता/निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ GST की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी व खुली बोली में भाग लेने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

नोट: – टेण्डर दिवस को अपराहन 2.00 बजे के बाद कोई टेण्डर फार्म जारी नहीं जायेगा व 3.00 बजे के बाद कोई भी टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेशक

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

क्रमांक:— सर/कृषि/20/2019-20

दिनांक: —

चना की कटाई/गहाई के नियम व शर्तें

1. ठेकेदार को धरोहर राशि रुपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट द्वारा "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ" के नाम से सूरतगढ में देय हो जमा करवाना होगा, जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद वापिस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. सफल निविदादाता घोषित होने के बाद यदि निविदादाता किसी भी कारण से निविदा वापिस लेता है अथवा कार्य करने से मना करता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
3. असफल निविदादाता को धरोहर राशि बिना ब्याज के टेण्डर के 15 दिनों के भीतर वापिस कर दी जायेगी।
4. चना की कटाई व इकट्ठा करने के लिए ठेकेदार स्वयं ही मजदूरों व दराती आदि की व्यवस्था करेगा।
5. फसल की कटाई के बाद पहले छोटी-छोटी ढेरियां लगानी होंगी तथा सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक इन्चार्ज के बताये अनुसार 2 या 3 बड़े ढेर लगान होंगे।
6. चना की गहाई (थ्रेसिंग) ठेकेदार को टेण्डर फार्म में दी गयी दरों के अनुसार करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा। थ्रेसिंग का कार्य फसल की ढेरियाँ इकट्ठा होने के बाद 08-10 दिनों में ही पूरा करना होगा।
7. अनाज को फार्म के वाहन में लादना होगा एवं खलिहान साफ करने व अन्य कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व इसके लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे, फार्म किसी भी कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा।
8. कार्य चक इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के आदेशानुसार ठेकेदार को करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान किया जाता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
9. ठेकेदार या उसके आदमियों से फार्म का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो फार्म कमेटी द्वारा तय किया गया हर्जाना ठेकेदार को देना होगा।
10. व्यक्ति/ठेकेदार फार्म में काम लेगा, उसे ही कार्य पूरा करना होगा एवं यदि वह बीच में ही किसी कार्य को छोड़ता है, तो बकाया कार्य उसके खर्च पर किसी और व्यक्ति या पार्टी से करवाया जायेगा। 'यदि दरों में कोई अन्तर होता है तो उसकी वसूली फार्म की तरफ से देय भुगतान/धरोहर राशि से किया जायेगा व ठेकेदार का नाम फार्म की काली सूची में डाल दिया जायेगा।
11. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक/मानव क्षति होने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा व फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
12. इस ठेके में यदि कोई टैक्स (राज्य/केन्द्रीय)लगता है, तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवश्यक रूप से देना होगा।
13. निविदा कार्य स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त नियम व शर्तों को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को रु. 100/- के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
14. ठेकेदार ठेका स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फार्म कार्य अन्य ठेकेदार से कराने के लिए स्वतन्त्र होगा। साथ ही ठेकेदार को फार्म की काली सूची में डाल दिया जायेगा।
15. चकवाइज कटाई की तिथि चक/खण्ड प्रभारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। तिथि सूचित करने के 24 घण्टे के अन्दर कार्य आरम्भ करना होगा। समय से कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में कार्य अन्य ठेकेदार से कराया जायेगा तथा यदि दरों में कोई अन्तर आता है तो उसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार की धरोहर राशि या बकाया बिल भुगतान से की जायेगी।
16. यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनों पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेशक

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

टेण्डर फार्म

दिनांक:-.....
कमांक:-.....

रबी 2020-21 में बोये गये चना की कटाई/गहाई आदि कार्यों के लिए

खेतों में खड़ी फसल को हाथ से काटना, एकत्रित करना, फार्म/स्वयं की कम्बाईन/थ्रेसर में झोकना, दाने को फार्म की ट्राली/ ट्रक में भरना, खलियान साफ करना व इसके बदले में तुड़ी/स्ट्रॉ ले जाना।

चक नं.	चना (ए श्रेणी)	चना (बी श्रेणी)	चना (सी श्रेणी)	कुल (एकड़)	दर प्रति एकड़ श्रेणीवार रुपये में		
					ए श्रेणी	बी श्रेणी	सी श्रेणी
खण्ड-4							
39 पी.बी.एन.	103.00	173.00	148.00	424.00
40 पी.बी.एन.	73.00	109.00	49.00	231.00
42 पी.बी.एन.	252.00	58.00	57.00	367.00
43 पी.बी.एन.	73.00	146.00	59.00	278.00
44 पी.बी.एन.	142.00	13.00	0.00	155.00
45 पी.बी.एन.	51.00	42.00	44.00	137.00
46 पी.बी.एन.	108.00	175.00	143.00	426.00
कुल: -	802.00	716.00	500.00	2018.00			
खण्ड-5							
47 A/49A	28.00	50.00	15.00	93.00
47B/49B	88.50	0.00	0.00	88.50
51A/51 B	143.00	113.50	5.00	261.50
48/50 PBN	0.00	303.50	7.00	310.50
कुल: -	259.50	467.00	27.00	753.50			
कुल योग	1061.50	1183.00	527.00	2771.50			

दिनांक: -

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम :-

पिता का नाम :-

गांव व पोस्ट :-

जिला :-

फोन नं. :-

पेन नं./ GST नं :-